न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः 68/13 पुनः दर्ज सं.:70/16

दर्ज दिनांकः 28/03/13 पुनः दर्जः 01/02/16

निर्णय दिनांकः 16/11/2017

संशोधित शीर्षक

हनुमान पुत्र भूरा जाति बारागांव ब्राहम्ण, निवासीः फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. दुर्गालाल पुत्र भूरा जाति बारागांव निवासीः फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर। (फौत)

   1/1 गोविन्दनारायण पुत्र स्व. दुर्गालाल जाति बारागांव ब्राहम्ण, निवासीः मालपुरा, जिला टोंक राजस्थान।

   1/2 ममता पुत्री स्व. दुर्गालाल पत्नि गोविन्दनारायण जाति बारागांव ब्राहम्ण, निवासीः चकवाडा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

   1/3 रामकन्या बेवा दुर्गालाल जाति बारागांव ब्राहम्ण, निवासीः फागी, तहसील फागी, हाल निवासीः मालपुरा जिला टोंक राजस्थान।

2. बिरदीचंद पुत्र स्व. दुर्गालाल जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासीः मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान।

3. तहसीलदार/उपपंजीयक फागी, जिला जयपुर।

4. सरपंच ग्राम पंचायत फागी, पंचायत समिति फागी, जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी ने उनवानी वाद/प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जिसमे सफलता की पूरी—पूरी आशा है। आराजी खतौनी संख्या 75 के खसरा नंबर 7362 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, खाता संख्या 136 के खसरा नंबर 8544, 8683, 8686 किता 3 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खाता संख्या 137 के खसरा नंबर 8684 रकबा 01 बिस्वा, खाता संख्या 260 के खसरा नंबर 8550/8882/1, 8575, 8576, 8580, 8581, 8671, 8682, 8850/8882/2 कुल किता 08 कुल रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा, खाता संख्या 127 के खसरा नंबर 8301, 8331, 8332, 8567 किता 04 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा, खतौनी संख्या 128 के खसरा नंबर 4272, 7321, 7616, 8604, 8611, 8757 किता 6 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा एवं खाता संख्या 129 के खसरा नंबर 8636 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा की भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है, उपरोक्त समस्त भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 व उनके सगे भाई जगदीश का संयुक्त रूप से बराबर बराबर हिस्सा दर्ज है। जगदीश फौत हो चुका है जिसके हिस्से में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 बराबर बराबर अर्थात 1/2 हिस्से के खातेदार है और इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 का सगा भाई जगदीश है और उसकी पत्नि मोती है जिनके कोई जायन्दा औलाद नहीं है अर्थात वे दोनो ही नाऔलाद फौत हो चुके है और उनके देहान्त के पश्चात उनकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति के प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 जगदीश के भाई है वारिसान है तथा विवादित भूमि पर जगदीश के फौत होने पर दोनो संयुक्त रूप से बराबर बराबर हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है जिसके बाबत उनके मध्य कोई विवाद नहीं है अर्थात प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 संयुक्त रूप से बराबर बराबर जगदीश के वारिसान होने से जगदीश के हिस्से पर बराबर बराबर हिस्सेनुसार मौके पर काबिज काश्त है। जगदीश व उसकी बेवा मोती दोनो का देहान्त हो चुका है जो जगदीश के फौत होने पर उसकी विरासत का नामान्तकरण प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 उसके वारिसान होने से उनके नाम तस्दीक किया जाना चाहिये लेकिन जगदीश के फौत होने पर अप्रार्थीगण की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है और अप्रार्थी संख्या 01 अपने लडके

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

अप्रार्थी संख्या 02 को जगदीश का गोद पुत्र होने का कथन करते हुये अप्रार्थी संख्या 02 अकेले जगदीश की विरासत का नामान्तकरण अपने नाम खुलवाने के प्रयास में है जिसका प्रार्थी के द्वारा इस बाबत अप्रार्थीगण को अकेले अपने नाम भूमि लगाने बाबत मना किया तथा कहा कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 दोनो जगदीश के वारिसान है तथा इसी अनुसार दोनो के संयुक्त रूप से जगदीश की भूमि नाम होनी चाहिये। जगदीश ने अपने जीवनकाल में कभी भी अप्रार्थी संख्या 02 को गोद नहीं लिया न किसी प्रकार से अप्रार्थी संख्या 02 के नाम कभी इस आशय का कोई गोदनामा कभी तहरीर किया न कभी अप्रार्थी संख्या 02 को अपना गोद पुत्र बनाया लेकिन इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण की नियत में फितुर उत्पन्न है और वे जगदीश की भूमि अपने नाम हर सूरत में लगान पर उतारू है जिस हेतु अप्रार्थीगण ग्राम पंचायत से सांठ गांठ कर अपने नाम मृतक जगदीश का नामान्तकरण अपने पक्ष में खुलवाने पर उतारू है। अप्रार्थीगण अपने उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति में अभी दिनांक 20.03.2013 को ग्राम पंचायत फागी में ग्राम पंचायत से सांठ गांठ कर अपने पक्ष में नामान्तकरण खुलवाने पर उतारू हो गये तथा इस आशय से ग्राम पंचायत में पुरजोर राजनैतिक कोशिश की लेकिन इस बाबत प्रार्थी के द्वारा पुरजोर विरोध करने पर ग्राम पंचायत के द्वारा इस बाबत कोई कार्यवाही नहीं की लेकिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी कि प्रार्थी का जगदीश के हिस्से में कोई हक व अधिकार नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 02 की उसका वारिस हैवे हर सूरत में अप्रार्थी संख्या 02 के अकेले के नाम नामान्तकरण खुलवाकर ही रहेगे ऐसी स्थिति में प्रार्थी के लिये आवश्यक हुआ कि वह मृतक जगदीश के हिस्से में अपने हिस्से की घोषणा हेतु प्रार्थना विरूद्व अप्रार्थीगण पेश करे। अप्रार्थीगण अपने उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो गये तो प्रार्थी अपने हक व अधिकार से वंचित हो जावेगा जिसके लिये प्रार्थी को असहनीय हानि होगी तथा जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकेगी ऐसी स्थिति में प्रार्थी के लिये आवश्यक हुआ कि अप्रार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये। प्रथमदृष्टया केस व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है।

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को वाद के निर्णय तक जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थना में वर्णित

आराजी भूमि आराजी खतौनी संख्या 75 के खसरा नंबर 7362 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, खाता संख्या 136 के खसरा नंबर 8544,8683, 8686 किता 3 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खाता संख्या 137 के खसरा नंबर 8684 रकबा 01 बिस्वा, खाता संख्या 260 के खसरा नंबर 8550/8882/1, 8575, 8576, 8580, 8581, 8671, 8682, 8850/8882/2 किता 08 कुल रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा, खाता संख्या 127 के खसरा नंबर 8301, 8331, 8332, 8567, किता 04 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा, खतौनी संख्या 128 के खसरा नंबर 4272, 7321, 7616, 8604, 8611, 8757 किता 6 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा एवं खाता संख्या 129 के खसरा नंबर 8636 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा की भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी में जगदीश पुत्र भूरा के दर्ज हिस्से में से प्रार्थी के 1/2 हिस्से में कब्जेकाश्त में मजाहमत नहीं स्वयं करे ना ही अन्य से करावे, तथा मृतक जगदीश के विरासत का नामान्तकरण अपने नाम तस्दीक नहीं करावे तथा मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे इस आशय की तहरीर अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार/उपपंजीयक फागी व अप्रार्थी संख्या 4 ग्राम पंचायत फागी को पृथक से जारी हो।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। दिनांक 19.09.2014 को वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 01.02.2016 को पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के आदेशानुसार न्यायालय सहायक कलक्टर फागी के यहां से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई। पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर की गयी। दिनांक 24.11.2016 को वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। बाद बहस मनन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वकील प्रार्थी को संशोधित शीर्षक प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। दिनांक 31.01.2017 को वकील प्रार्थी ने संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 07.07.2017 को वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 03.08.2017 को अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/2 एवं 1/3 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, जवाब प्रार्थना पत्र, फोटोप्रति रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 25.06.2009, मूल वाद पत्रावली इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 को जगदीश पुत्र भूरा का दत्तक पुत्र न होने एवं फर्जी गोदनामे के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में जगदीश के हिस्से का नामान्तकरण खुलवाकर आराजीयात हडपने का कथन करते हुये अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहा है।

वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी का जगदीश के हिस्से में हक हिस्सा है अथवा नहीं इस बिन्दु का निर्धारण वाद के अंतिम निर्णय के समय किया जावेगा। अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जगदीश पुत्र भूरा एवं मोती पत्नि जगदीश ने गोदनामा दिनांक 25.06.2009 को उपपंजीयक फागी के यहां पंजीबद्व करवाया हुआ है, जो रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, इस कारण प्रकरण की परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुये अप्रार्थी के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने से अपूर्तनीय क्षति अप्रार्थी को कारित हो सकती है। प्रथमदृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन भी बमुकाबिले प्रार्थी अप्रार्थी प्रबल है। न्यायहित में मेरे विनम्र मतानुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं होगा।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16/11/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला जयपुर
मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
फागी